न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 113/2023

1 सुवालाल पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासी ढाणी पूछलावाली तन गोडावास तहसील नीमकाथाना हाल नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अमरसिंह पुत्र सांवलराम
2 रोहिताश पुत्र सांवलराम
3 रामनिवास पुत्र सांवलराम
4 गोकुलराम पुत्र सांवलराम
5 प्रेमप्रकाश पुत्र सांवलराम
समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी पूछलावाली तन गोडावास तहसील नीमकाथाना हाल नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।
6 जगमाल पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासी ढाणी पूछलावाली तन गोडावास तहसील नीमकाथाना नवसृजित जिला नीमकाथाना।
7 बंशीरधर पुत्र रूघनाथ जाति अहीर निवासी ढाणी पूछलावाली तन गोडावास तहसील नीमकाथाना नवसृजित जिला नीमकाथाना।
8 बोदूराम पुत्र रामलाल
9 शेरसिंह पुत्र रामलाल
समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी पूछलावाली तन गोडावास तहसील नीमकाथाना नवसृजित जिला नीमकाथाना।
10 उप पंजीयक महोदय नीमकाथाना नवसृजित जिला नीमकाथाना
11 तहसीलदार महोदय नीमकाथाना जिला नीमकाथाना

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक
18.08.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना उनवानी वाद सुवालाल बनाम
अमरसिंह आदि मु.नं. 185/2021
अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा 185/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 110, 111, 112 वाके ग्राम नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट/वादी ने दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन किये जाने की प्रार्थना की जिस पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने विवादित आराजियात का विभाजन वर्षों पूर्व ही होना व दिनांक 26.05.2001 को पारिवारिक समझौता होना अपने जवाबदावे में अंकित किया है तथा जवाबदावा के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत कर पूर्वी साईड की 1/2 भाग की भूमि अपीलांट/वादी व उनके भाईयों की दर्शित की व शेष 1/2 भाग की भूमि रेस्पोडेन्ट (प्रतिवादी संख्या 1 ता 5) ने अपनी होना अंकित किया तथा अपीलांट व उनके भाईयों की भूमि में आवासीय मकानात होना व अपने पश्चिमी साईड में स्वयं के मकानात व चारदीवारी होना अंकित किया व नजरी नक्शा को जवाबदावे का भाग बताते हुए परिशिष्ट 'क' के रूप में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जब रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वीकृत रूप से वादी/अपीलांट व उनके भाईयों का कब्जा 1/2 भाग पूर्वी तरफ साबित है व स्वीकृत तथ्य है तो विचारण न्यायालय ने अपने विवेक से तहसीलदार द्वारा मौके के विपरित बनाये बंटवारा प्रस्ताव पुनः मंगवाये बिना व अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के बावजूद उस पर गौर किए बिना ही विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजियात का आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री इनत ीन बिन्दूओ के आधार पर व नियम 18 से 21 को मध्यनजर रखते हुए जारी की है कि 1 यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

भिजवाये। प्रस्तुत प्रकरण में स्वीकृत रूप से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 का कब्जा पूर्वी साईड की 1/2 भाग की भूमि पर था व है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 ने अपने आवासीय मकानात भी बना रखे है व 1/2 भाग की भूमि के चारो तरफ पुख्ता चारदीवारी भी मौके पर बना रखी है इस प्रकार तनकी संख्या 1 के अनुसार मौके पर बाहमी बंटवारा कर काबिज चले आ रहे पक्षकारों को तहसीलदार महोदय ने मौके के विपरित जाकर अपना बंटवारा प्रस्ताव कब्जे के विपरित बनाकर अपीलांट व उनके शेष 1/2 भाग के खातेदारो की 0.0150 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 110 में से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के प्रस्तावित करने व विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के खातेदारी मे देने में व प्राथमिक डिक्री प्रथम शर्त के विपरित आज्ञा पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते समय शर्त संख्या 2 में वर्णित पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। विचारण न्यायालयय की शर्त संख्या 2 के मुताबिक विचारण न्यायालय के निर्देशों की तहसीलदार ने न तो पक्षकारों को विधिवत सूचना दी न ही आपसी सहमति का प्रयार किया मात्र बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान ने हस्ताक्षर करन से इंकार किया का नोट लगाकर ही इतिश्री कर ली जबकि एक पक्ष तो अर्थात रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 तो सहमत थे उनके हस्ताक्षर क्यो नहीं करवाये या किए इससे जाहिर है कि तहसीलदार महोदय ने मौके पर कोई बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किए न सहमति का प्रयास किया अतः शर्त संख्या 2 के अनुसार कोई कार्यवाही पत्रावली पर न होते हुए भी विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव उसी रोज निरस्त कर आज्ञा जेर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2027–2078 ग्राम कस्बा नीमकाथाना के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 110, 111, 112 किता 3 रकबा 0.76 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का एवं भू. अ. निरीक्षक नीमकाथाना को साथ लेकर मौके पर उपस्थित होकर खातेदारान के मध्य तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार खातेदारान का पूर्व से कब्जा काश्त अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी ने दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन किये जाने की प्रार्थना की जिस पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने विवादित आराजियात का विभाजन वर्षों पूर्व ही होना व दिनांक 26.05.2001 को पारिवारिक समझौता होना अपने जवाबदावे में अंकित किया है तथा जवाबदावा के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत कर पूर्वी साईड की 1/2 भाग की भूमि अपीलांट/वादी व उनके भाईयों की दर्शित की व शेष 1/2 भाग की भूमि रेस्पोडेन्ट (प्रतिवादी संख्या 1 ता 5) ने अपनी होना अंकित किया तथा अपीलांट व उनके भाईयों की भूमि में आवासीय मकानात होना व अपने पश्चिमी साईड में स्वयं के मकानात व चारदीवारी होना अंकित किया व नजरी नक्शा को जवाबदावे का भाग बताते हुए परिशिष्ट 'क' के रूप में नजरी नक्शा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने विवादित आराजियात का आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री इन तीन बिन्दूओ के आधार पर व नियम 18 से 21 को मध्यनजर रखते हुए जारी की है कि 1 यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव भिजवाये। प्रस्तुत प्रकरण में स्वीकृत रूप से अपीलांट व रेस्पोड़ेन्ट संख्या 6 लगायत 9 का कब्जा पूर्वी साईड की 1/2 भाग की भूमि पर था व है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 ने अपने आवासीय मकानात भी बना रखे है व 1/2 भाग की भूमि के चारो तरफ पुख्ता चारदीवारी भी मौके पर बना रखी है विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते समय शर्त संख्या 2 में वर्णित पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। विचारण न्यायालयय की शर्त संख्या 2 के मुताबिक विचारण न्यायालय के निर्देशों की तहसीलदार ने न तो पक्षकारों को विधिवत सूचना दी न ही आपसी सहमति का प्रयास किया मात्र बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान ने हस्ताक्षर करन से इंकार किया का नोट लगाकर ही इतिश्री कर ली जबकि एक पक्ष तो अर्थात रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 तो सहमत थे उनके हस्ताक्षर क्यो नहीं करवाये या किए इससे जाहिर है कि तहसीलदार महोदय ने मौके पर कोई बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किए न सहमति का प्रयास किया अतः शर्त संख्या 2 के अनुसार कोई कार्यवाही पत्रावली पर न होते हुए भी विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव उसी रोज निरस्त कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

Scanned with OKEN Scanner